न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स : 12/2016 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO: 2016/00022

अनवान

1. श्री फता पिता काना जी मीणा, निवासी सागवाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. श्री शंकर पिता पन्ना मीणा, निवासी सागवाड़ा, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट।

अपील प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 23-01-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के प्रस्तुत किया कि मौजा सागवाड़ा, हाल तहसील ऋषभदेव पूर्व तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर मे आराजी संख्या 592/1 रकबा 4.95हे. भूमि स्थित हो बिलानाम सिवाय चक खाते दर्ज थी। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा वर्षो से चला आ रहा था। उक्त भूमि के पास मे प्रार्थी की कृषि भूमि है, जिसमे उक्त वर्णित आराजीयात की भूमि और अपने स्वयं के खाते की भूमि को मिलाकर प्रार्थी कृषि काश्त कर रहा है। उक्त वर्णित आराजी संख्या 592/1 कृषि भूमि विपक्षी को दिनांक 21.12.2004 को नियमो के विपरित जाकर आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन के आधार पर आदेश क्रमांक 85/2004 को नामान्तरकरण संख्या 112 से विपक्षी के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज किया जाकर नये आराजी संख्या 1548/592 रकबा 1.00हे. कृषि भूमि दर्ज की गई, जिस पर वर्तमान मे प्रार्थी काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा नहीं रहा और न ही धारा 91 के नोटिस विपक्षी को प्राप्त हुए हैं। आवंटन के पूर्व न तो मिसल कायम हुई है, न ही विधिवत फार्म भरा गया है, न अनओक्युपाईड़ भूमि की सूची बनायी गयी है और न ही मौके की जांच की गई हैं। विपक्षी भूमिहीन काश्तकार नहीं है। कथित आवंटन पूरे कोरम मे भी नहीं किया गया हैं। क्षेत्रीय विधायक, सरपंच, सदस्य एवं पटवारी के हस्ताक्षर कमेटी के निर्णय मे नहीं हैं। विपक्षी के कब्जे के अभाव मे किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः विपक्षी को दिनांक 21.12.2004 को आवंटित आराजी संख्या 592/1 रकबा 1.00हे., जिसके वर्तमान आराजी संख्या 1548/592 है, को निरस्त किया जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज की जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी श्री शंकर पिता पन्ना मीणा के न्यायालय मे उपस्थित होने पर उसे जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब अप्राप्त रहने से प्रकरण मे विपक्षी की ओर से जवाब बंद किया गया। तहसीलदार ऋषभदेव से विवादित आराजी पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि की सूचना चाही गई। तहसीलदार ऋषभदेव द्वारा अपने पत्र क्रमांक 212 दिनांक 12.04.2017 से प्रेषित मौका पर्चा रिपोर्ट द्वारा न्यायालय को अवगत कराया है कि आराजी संख्या 592 रकबा 4.95हे. मे से 1.00हे. भूमि श्री शंकर पिता पन्ना मीणा को आवंटित की गई है, जिसके नामान्तरकरण संख्या 112 द्वारा आराजी संख्या 1548/592 रकबा 1.00हे. है एवं राजस्व रेकर्ड के नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी संख्या 1546/592 एवं 1548/592 मौके पर मगरी पड़त हो श्री शंकर पिता पन्ना व कालू पिता पन्ना काबिज हैं। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड़ अधिकारी से आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 85/2004 तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित न होने से प्रकरण मे एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षी के पक्ष मे किये गये आवंटन दिनांक 21.12.2004 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं उसमे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया एवं उन पर गंभीरता से मनन किया। आवंटन पत्रावली संख्या 85/2004 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी श्री शंकर पिता पन्ना मीणा द्वारा मौजा सागवाड़ा, तहसील ऋषभदेव की साबिक आराजी संख्या 592 रकबा 1.00हे. भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, प्रभारी अधिकारी प्रशासन आपके द्वार अभियान 2004, प्रधान एवं विकास अधिकारी के हस्ताक्षर आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार से प्राप्त मौका पर्चा रिपोर्ट अनुसार भी विवादित आराजीयात पर प्रार्थी काबिज नहीं हो आवंटी ही काबिज है। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा न तो कोई पुरानी जमाबंदी इत्यादि की रिपोर्ट सलंग्न की है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थी का उक्त भूमि पर विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा चला आ रहा हो। यदि प्रार्थी का कब्जा उक्त भूमि पर होता तेा उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थी के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थी का कब्जा साबित करती। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता कब्जे के संबंध मे धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। आवंटन के इतने लम्बे समय पश्चात् किसी भी आवंटी के आवंटन को निरस्त कर उसे भूमि से बेदखल करना हम न्यायोचित नहीं समझते है। ऐसी स्थिति मे नियम 14(4) अंतर्गत कार्यवाही उचित प्रतीत नही होती है। अतः

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा विपक्षी शंकर पिता पन्ना मीणा को आराजी संख्या 592 मे से रकबा 1.00हेक्टेयर पर किया गया आवंटन आदेश दिनांक 21.12.2004 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर